लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1252

28 जून, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

वैश्विक बाजार में रेशम को प्रोत्साहन देना

1252. श्री बैन्नी बेहननः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार वैश्विक बाजार में रेशम को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रेशम संग्रहण की श्रमसाध्य पारंपरिक प्रक्रिया को समाप्त कर आधुनिक मशीनों से यह कार्य करने के लिए हाल ही में क्या प्रयास किए गए हैं;

(घ) क्या रेशमकीट बीज क्षेत्र में गुणवत्ता प्रमाणन के लिए कोई मोबाइल एप्लिकेशन आरंभ किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) और (ख): वैश्विक बाजार में भारतीय रेशम को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

(i): केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) ने घरेलू और वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेशम क्षेत्र के समग्र विकास हेतु 'सिल्क समग्र' (2017-2020) की शुरूआत की। इस योजना के तहत भारत सरकार, घरेलू और निर्यात बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी की अच्छी किस्म के कच्चे रेशम का उत्पादन करने हेतु स्वचालित रीलिंग मशीनें (एआरएम) स्थापित करने के लिए सीएसबी के माध्यम से सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, डेनिम निटवियर, क्रेप, जॉर्जेट, शिफॉन और यूनियन फैब्रिक्स जैसी निर्यात के लिए अच्छी किस्म की रेशम सामग्री का उत्पादन करने के लिए आर्म डाइंग और फैब्रिक प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

(ii): शुद्ध रेशम के नाम पर कृत्रिम रेशम उत्पादों को बेचने वाले व्यापारियों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सीएसबी, "सिल्क समग्र" की गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली/ब्रांड संवर्धन संघटक के तहत भारतीय सिल्क मार्क संगठन (एसएमओआई) के माध्यम से रेशम उत्पादों की शुद्धता के लिए "सिल्क मार्क" नामक आश्वासन लेवल को लोकप्रिय बना रहा है।

(iii): विदेशी खरीददारों में 'इंडियन सिल्क' के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एसएमओआई, 'इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर', 'हेमटेक्सटिल (इंडिया)', 'हूज़ नेक्स्ट' आदि जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग ले रहा है। वैश्विक बाजारों को आकर्षित करने के लिए बड़े कार्यक्रमों के साथ 'क्रेता विक्रेता बैठकें', फैशन शो आदि का आयोजन किया जाता है।

(iv): इसके अलावा, रेशम निर्यात व्यवसाय की सहायता करने के लिए वाणिजय मंत्रालय भी मर्केंडाइज एक्स्पोर्ट फ्रॉम इंडिया (एमईआईएस) जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है जिसमें निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रेशम उत्पादों को 2% से 5% तक प्रोत्साहन के रूप में ड्यूटी स्क्रिप प्रदान किया जाता है। इकसे अलावा, वाणिज्य मंत्रालय की ईपीसीजी, ईओयू योजनाओं के तहत भी सहायता प्रदान की जाती है।

(ग): परंपरागत रूप से महिला समूहों द्वारा हाथ से तसर यार्न की रीलें बनाई जाती हैं जिसमें रील बनाने के लिए जांघ (थाई) का इस्तेमाल किया जाता है जो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है और महिलाओं की मर्यादा के विरूद्ध है। थाई रीलिंग व्यवस्था को प्रतिस्थापित करने/समाप्त करने के लिए उद्देश्य से बुनियाद रीलिंग मशीन विकसित की गई है और इसे लोकप्रिय बनाया गया है। 'सिल्क समग्र' के तहत मार्च, 2019 तक आदिवासी महिलाओं को 4530 रीलिंग मशीनें वितरित की गई हैं।

(घ) और (ङ): जी, हां। केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) ने बीज अधिकारियों (एसओ) और बीज विश्लेषकों (एसए) की निरीक्षण संबंधी कार्रवाइयों की ऑनसाइट/ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए एंड्राइड आधारित मोबाइल एप्लिकेशन 'ई-कोकून' विकसित किया है। 'ई-कोकून' को दिनांक 09.02.2019 को नई दिल्ली में हुई 'सर्जिंग सिल्क' मेगा इवेंट में शुरू किया गया था। यह मोबाइल ऐप एसओ और एसए द्वारा किए गए फील्ड दौरों/क्रियाकलापों की सही समय पर रिपोर्टिंग करने में सहायता करेगा।

*****